

**ekx I 4; k 64**  
**मुख्य शीर्ष 2202**

**मद क्रमांक 1**

अनुसूचित जाति आश्रम में निवासरत विद्यार्थियों को अतिरिक्त शिष्यवृत्ति भुगतान हेतु ` 25.00 लाख का व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु ` 25,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

**मद क्रमांक 2**

ए.पी.एल.छात्रों को निःशुल्क गणवेश प्रदाय के लिए ` 300.00 लाख का व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु ` 3,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

**मद क्रमांक 3 से 6**

प्राथमिक विद्यालयों में मध्याह्न भोजन कार्यक्रम हेतु ` 2185.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु ` 21,85,00,000 अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

**मद क्रमांक 7 से 10**

पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में मध्याह्न भोजन कार्यक्रम हेतु ` 985.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु ` 9,85,00,000 अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

**मद क्रमांक 11**

अनुसूचित जाति वर्ग के 9वीं में अध्ययनरत बालिकाओं को सायकल प्रदाय हेतु ` 31.70 लाख का व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु 31,70,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

**मुख्य शीर्ष 2203**

**मद क्रमांक 12**

इंजिनियरिंग महाविद्यालयों के अंतिम वर्ष के अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को निःशुल्क लैपटाप वितरण हेतु ` 500.00 लाख का व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु ` 5,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

**मुख्य शीर्ष 2216**

**मद क्रमांक 13 से 14**

इंदिरा आवास योजना हेतु राज्यांश ` 492.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु ` 4,92,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

**मुख्य शीर्ष 2225**

**मद क्रमांक 15**

विशेष केन्द्रीय सहायता अंतर्गत अनुसूचित जाति स्वरोजगार योजना हेतु ` 700.00 लाख का व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु ` 7,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

**मद क्रमांक 16**

अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण हेतु ` 500.00 लाख का व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु ` 5,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

**मद क्रमांक 17**

छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जाति आयोग हेतु ` 20.00 लाख का व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु ` 20,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

**मद क्रमांक 18**

विशेष केन्द्रीय सहायता अंतर्गत क्षेत्रीय विकास के लिये अनाबद्ध मद में ` 14.00 लाख का व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु ` 14,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

**मद क्रमांक 19 से 20**

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम अन्तर्गत सहायता/पुनर्वास योजना हेतु ` 174.40 लाख का व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु ` 1,74,40,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

**मुख्य शीर्ष 2235**

**मद क्रमांक 21**

मुख्यमंत्री तीर्थयात्रा योजनांतर्गत छत्तीसगढ़ के 60 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को उनके जीवन काल में एक बार तीर्थ स्थानों की यात्रा सुलभ कराने हेतु ` 600.00 लाख का व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु ` 6,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

**मद क्रमांक 22**

प्रदेश के निर्धन युवक-युवतियों के विवाह पर ` 75.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु ` 75,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

**मद क्रमांक 23**

अन्त्योदय अन्न योजना में नवीन अति गरीब परिवारों को शामिल करने हेतु मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना के अंतर्गत ` 264.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु ` 2,64,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

**मुख्य शीर्ष 2401**

**मद क्रमांक 24**

प्रदेश के बालोद और अंबिकापुर सहकारी शक्कर कारखानों के अन्तर्गत क्षेत्र विस्तार हेतु गन्ना उत्पादक कृषकों को वर्तमान में देय ` 3000.00 प्रति एकड़ के स्थान पर ` 5000.00 प्रति एकड़ की दर से बीज वितरण/परिवहन अनुदान हेतु ` 25.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है ।

अतः इस हेतु ` 25,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मुख्य शीर्ष 2403**

**मद क्रमांक 25**

केंद्र प्रवर्तित योजनान्तर्गत भारत सरकार से प्राप्त राशि हेतु ` 5.25 लाख का व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु ` 5,25,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 26**

19वीं पशु संगणना कार्यक्रम हेतु ` 27.39 लाख का व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ` 27,39,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

**मुख्य शीर्ष 2408**

**मद क्रमांक 27**

अन्त्योदय अन्न योजना अंतर्गत ` 89.06 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ` 89,06,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

**मुख्य शीर्ष 2425**

**मद क्रमांक 28**

लघु एवं सीमान्त कृषकों के अल्पकालीन ऋण माफ करने हेतु ` 334.00 लाख का व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु ` 3,34,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

**मुख्य शीर्ष 2801**

**मद क्रमांक 29**

एकल बत्ती कनेक्शन को निःशुल्क विद्युत प्रदाय हेतु राशि ` 874.00 लाख का व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि ` 8,74,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

**मद क्रमांक 30**

05 अश्वशक्ति तक के कृषि पम्पों को निःशुल्क विद्युत प्रदाय हेतु ` 1726.00 लाख का व्यय संभावित है ।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि ` 17,26,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

**मुख्य शीर्ष 4225**

**मद क्रमांक 31**

अनुसूचित जाति स्वरोजगार योजना तथा अनाबद्ध हेतु ` 16.00 लाख का व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु ` 16,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

**मुख्य शीर्ष 5054**

**मद क्रमांक 32**

जिला जांजगीर-चांपा के जैजैपुर विकासखण्ड के मालखरौदा-सक्ती-मालखरौदा-छपोरा- डभरा मार्ग लंबाई के निर्माण कार्य की अनुमानित लागत ` 1000.00 लाख पर इस वर्ष ` 10.00 लाख का व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु ` 10,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।